उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 08/2017/1604/92-2-2017-224आरई/2006

लखनऊ :: दिनांक:: 03 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा द्वारा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कराये गये समस्त निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच में पायी गयी शासकीय क्षति एवं अन्य अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-420/62-3(प्रकोष्ठ)/08-224आरई/2006, दिनांक 18.11.2008 द्वारा श्री भइया लाल, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 18.06.2012 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के पत्र दिनांक 18.06.2012 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री भइया लाल के विरूद्ध अधिरोपित आरोप स्थापित नही पाये गये, किन्तु शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि आरोप पत्र में उल्लिखत क्रमांक-5 से 11 तक अंकित सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्यो में अपचारी अधिकारी द्वारा बिना अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति प्राप्त किये अनुबंध को छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित करके कार्य कराया गया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से वृहत प्रचार-प्रसार कर निविदा आमंत्रित करते हुये अनुबंध गठन की कार्यवाही नही की गयी, जिसके फलस्वरूप शासन को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ न मिलने के कारण घटित शासकीय क्षति कारित करने तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 01.06.1995 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-357 में दी गयी व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप प्रथम दृष्टया अपचारी अधिकारी पर स्थापित होना परिलक्षित हुआ। अतएव उक्त स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत शासन के पत्र संख्या-413/92(प्रकोष्ठ)/2012-224आरई/2006, दिनांक 16.11.2012 द्वारा अपचारी अधिकरी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 16.04.2013 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, शासन स्तर पर स्थापित पाये गये आरोपों, स्थापित आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री भइया लाल के विरूद्ध आरोप पत्र में उल्लिखित क्रमांक-5 से 11 तक अंकित सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्यो में अपचारी अधिकारी द्वारा बिना अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति प्राप्त किये अनुबंध को छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित कर कार्य कराये जाने तथा समाचार पत्रों के माध्यम से वृहत प्रचार-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रसार कर निविदा आमंत्रित करते हुये अनुबंध गठन की कार्यवाही नही किये जाने के फलस्वरूप शासन को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ न मिलने के कारण घटित शासकीय क्षति कारित करने एवं वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 01.06.1995 व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-357 में दी गयी व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप अपचारी अधिकारी पर सिद्ध पाया गया। अतएव उक्त अनियमितताओं के लिये अपचारी अधिकारी, श्री भइया लाल के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें अनन्तिम दण्ड दिये जाने का विनिश्चय करते हुये शासन के पत्र दिनांक 08.03.2015 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

4- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 30.07.2015 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत् प्रदान की गयी है:-

(1) श्री भइया लाल को वर्तमान वर्ष के लिये "परिनिन्दित" किया जाय।

(2) श्री भइया लाल की एक वेतनवृद्धि दो वर्ष के लिये रोक दी जाया

5- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.11.2008 द्वारा श्री भइया लाल, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1208/92-2-2015-224आरई/2006 दिनांक 18.08.2015 द्वारा निम्नवत् दण्ड प्रदान करते हुये समाप्त किया गया।

(क) श्री भइया लाल को वर्ष 2015-16 के लिये निम्नवत् "परिनिन्दित" किया जाय:-

" आरोप पत्र में उल्लिखित क्रमांक-5 से 11 तक अंकित सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्यो में अपचारी अधिकारी द्वारा बिना अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति प्राप्त किये अनुबंध को छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित कर कार्य कराये जाने तथा समाचार पत्रों के माध्यम से वृहत प्रचार-प्रसार कर निविदा आमंत्रित करते हुये अनुबंध गठन की कार्यवाही नही किये जाने के फलस्वरूप शासन को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ न मिलने के कारण घटित शासकीय क्षति कारित करने एवं वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 01.06.1995 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-357 में दी गयी व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिये श्री भइया लाल, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा को परिनिन्दित किया जाता है।"

(ख) श्री भइया लाल की एक वेतनवृद्धि दो वर्ष के लिये रोकी जाती है।

शासन के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री भइया लाल, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा ने अपने पत्रांक: मेमो/ग्रा0अभि0/जॉच/अभ्यावेदन दिनांक 08.08.2016 द्वारा शासन के पारित दण्डादेश दिनांक 18.08.2015 के विरूद्ध अपना प्रत्यावेदन शासन मे प्रस्तुत किया गया जिसमे उनके द्वारा यह कहा गया है कि क्रमांक 5 से 11 तक सभी कार्यो की निविदायें आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की गयी तथा निविदा सूचना की प्रतियां निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रेषित की गयी थी। अत: तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग, प्रखण्ड-इटावा द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 18.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये पुर्नविचार प्रत्यावेदन दिनॉक 08.08.2016 के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति परिलक्षित हुई है कि

श्री भइया लाल द्वारा दिये तर्को मे बल है एवं ऐसा कोई कारण नही है कि श्री भइया लाल की एक वेतन बृद्धि दो वर्ष के लिए रोक दी जाय तथा वर्ष 2015-2016 के लिए परिनिन्दा का दण्ड दिया जाय।

अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1208/92-2-2015-224आरई/2006 दिनांक 18.08.2015 द्वारा श्री भइया लाल, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा को प्रदत्त एक वेतन बृद्धि दो वर्ष के लिए रोके जाने एवं परिनिन्दा प्रविष्टि को विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 08/ 2017/1604(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री भइया लाल, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-इटावा द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।